



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

अनुदेश संख्या 02/2017

शिलांग, दिनांक 5 जुलाई 2017

विषय: आयात मेनिफेस्ट या आयात रिपोर्ट और निर्यात मेनिफेस्ट या निर्यात रिपोर्ट जमा करना।

सभी अधिकारियों का ध्यान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30 में आकर्षित किया जाता है, जिसके लिए जहाज, विमान या वाहन के प्रभारी को आयात पत्र / रिपोर्ट (जिसे आयात सामान्य घोषणापत्र-आईजीएम भी कहा जाता है) जमा करने की आवश्यकता होती है। वेसल या विमान के मामले में आयात मेनिफेस्ट कहा जाता है, जबकि वाहन के मामले में इसे आयात रिपोर्ट कहा जाता है। आयात मेनिफेस्ट को सीमा शुल्क स्टेशन पर वेसल या विमान के आगमन एवं आयत रिपोर्ट 12 घंटे के भीतर जमा किया जाना है। यदि रिपोर्ट / मेनिफेस्ट निर्धारित समय, व्यक्ति-प्रभारी या किसी अन्य व्यक्ति के भीतर जमा नहीं किया गया है (वाहक की तुलना में किसी भी व्यक्ति के रूप में अधिसूचित, जो किसी आयातक के पक्ष में डिलीवरी आदेश जारी करने के लिए अधिकृत है, जिसके आधार पर माल की अनुमति है इस तरह के आयातक को वितरित करने के लिए - पूर्ण पाठ के लिए अधिसूचना सं 111/2003-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 19.12.03 संशोधित अधिसूचना सं 17/2004 सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 16.02.04) के तहत जुर्माना रु50,000/-से अधिक होने पर अदा करना होगा।

इसी तरह, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 41 के संदर्भ में, निर्यात माल को लेकर एक वाहन के प्रभारी व्यक्ति को वाहन से परिवहन के प्रस्थान से पहले निर्यात मेनिफेस्ट / रिपोर्ट (निर्यात सामान्य मेनिफेस्ट-ईजीएम के रूप में भी जाना जाता है) जमा करना होगा। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 42 (2) (बी) के अनुसार निर्यात मेनिफेस्ट / रिपोर्ट जमा किए बिना छोड़ने के लिए किसी वाहन को अनुमति नहीं दी जा सकती है। निर्यात प्रकट / रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जानी है। हालांकि ये आवश्यकताएं सरकार या किसी विदेशी सरकार से संबंधित वाहनों या जहाजों या विमानों के लिए लागू नहीं हैं जो किसी भी आपात स्थिति में किसी भी कारण से अस्थायी रूप से भारत में प्रवेश करती हैं। [सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 43]।


इसके अलावा, यह आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में सभी सीमा शुल्क स्टेशन आईसीडी, अमीनगांव और एलजीबीआईए, बोरजहर, गुवाहाटी के अलावा गैर-ईडीआई स्थान हैं, और ऐसे स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट / मेनिफेस्ट करने के लिए संभव नहीं है। इसलिए धारा 30 के प्रावधान के तहत प्रदान की गई शक्तियों और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 41 के प्रावधान के तहत, अधोहस्ताक्षरी इस आयुक्तालय में गैर-ईडीआई स्थानों पर क्रमशः आयात मेनिफेस्ट / रिपोर्ट और निर्यात पत्र / रिपोर्ट की मैन्युअल जमा करने की अनुमति देता है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्यात मेनिफेस्ट / रिपोर्ट और आयात मेनिफेस्ट / रिपोर्ट जमा करने की वैधानिक आवश्यकताएं हैं और कार पास इसके लिए एक विकल्प नहीं हैं। कार पास का उपयोग केवल वाहनों के उचित गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और दिनांक 04.08.15 के सुविधा संख्या 05/15 के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर जमा किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि निर्यात और आयात के संबंध में जीएसटीएन पोर्टल पर डेटा अपलोड करते समय, ईजीएम से संबंधित डेटा भी अपलोड किया जाना चाहिए और इसलिए यह आवश्यक है कि इस तरह के दस्तावेज संबंधित द्वारा प्रस्तुत किए जाएं।

आयात रिपोर्ट (प्रारूप) विनियम, 1976 द्वारा आयात मेनिफेस्ट / रिपोर्ट का प्रारूप निर्धारित किया गया है। [संलग्न प्रारूप की प्रति]।

निर्यात रिपोर्ट (प्रारूप) विनियम, 1976 द्वारा निर्यात मेनिफेस्ट / रिपोर्ट का प्रारूप निर्धारित किया गया है। [संलग्न प्रारूप की प्रति]।

इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि भारत में प्रवेश करने या निर्यात वस्तुओं के साथ भारत से बाहर निकलने वाले सामानों के साथ भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विमान / जहाज / वाहन के लिए रिपोर्ट / मेनिफेस्ट होना चाहिए और इस संबंध में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सीमा शुल्क स्टेशनों के सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित दस्तावेज निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्दिष्ट प्रभारी या किसी अन्य व्यक्ति जो कि उस दौरान निर्दिष्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना है।




(बंदना देवरी)
आयुक्त

C.No. VIII (48)09/CUS/TECH/MISC/-EXP-IMP/2018/ 15624-35
प्रति सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

dated

5 JUL 2017

1. मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं सीमा शुल्क, शिलांग।
2. उप आयुक्त / करीमगंज / इम्फाल / गुवाहाटी / दिमापुर / धुबरी / आइज़ल / सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला / शिलांग।
उनसे अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्राधिकार अधीन सीमा शुल्क चौकी में इस अनुदेश का अनुपालन करें।
3. अधीक्षक, कंप्यूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग को इस स्थायी आदेश को आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करे।
4. गार्ड फाइल



(बंदना देवरी)
आयुक्त